

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

| <p>तारीख हुकम</p> | <p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> | <p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>31/5/24</p> | <p>पत्रावली पेश। रास्ते आदेश पत्रावली दिनांक - 6/06/2024 को पेश हुई।</p> | |
| <p>6/6/24</p> | <p>पत्रावली पेश। वकील पार्थी द्वारा बंधुओं के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मन्तव्य कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पार्थी द्वारा खनन पेटे संख्यां संम. संल. नम्बर 72/2009 व 24/2009 ग्राम नरावा में आवागमन हुंडु रास्ते की घोषणा चाड़ी गई है। धारा 251(क) राज. टी. एक्ट में केवल कृषि भूमि में जाने हुंडु रास्ते घोषित किन्ते जमी के प्रावधान है। खनन पेटे के लिए रास्ते का प्रावधान नहीं है। पार्थीना फ़र पार्थी अदालत धारा 251(क) R.T. Act के तहत घोषणा/चलने योग्य नहीं है। अतः पार्थीना फ़र पार्थी स्वारीत किया जाता है। पत्रावली पेश शुमार की जाकर बाह तकमिल नम्बर से कम होकर दाखिल इफ़तर है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।</p> | <p>उपजुड अधिकारी हिण्डोली</p> |